राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 18972 दिनांक : 29/8/2023

आयुक्त,
नगर परिषद, टोंक।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के पश्चात् पोर्टल पर अपडेट करने बाबत्।
प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांकः 5036 दिनांक 21.08.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा नगर परिषद टोंक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विवरण में पोर्टल पर चाहे गये संशोधन विकल्प के साथ प्रस्तुत कार्यों की सूची में अनुमानित लागत (श्रम / सामग्री / कुल) एवं मानव दिवस की सूचना संलग्न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेशों में वर्णित राशि एवं मानव दिवस आंकड़ो से भिन्न है। पूर्व में जारी A&F स्वीकृति व पत्र में वर्णित कार्यों का मिलान स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा हैं। साथ ही कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रपत्रों में तकमीने संलग्न नहीं है। उक्त कार्यों को विभागीय आदेश क्रमांकः 10823–11069 दिनांक 25.04.2023 द्वारा योजनान्तर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023–24 अनुसार तैयार नहीं करवाया गया है।

अतः विभागीय आदेशों एवं समीक्षात्मक बैठक में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए वार्षिक कार्य योजना निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर कार्यों को सम्मिलित करते हुए A&F स्वीकृति अनुसार स्पष्ट नाम अंकित करते हुए तथा विस्तृत तकमीने एवं जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से अनुमोदित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

29/8/23

(भूपेन्द्र माथुर)
परियोजना निदेशक (IRGY)

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 18973-18975 दिनांक : 29/08/23
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, टोंक।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

29/8/23

परियोजना निदेशक (IRGY)